अति महत्वपूर्ण

# निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन,2-सप्रू मार्ग, लखनऊ -226001

0522- 4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक 168/ MI- AAP /PDMC/2022-23 दिनांक 25 अगस्त, 2022

समस्त उप निदेशक उद्यान,
उत्तर प्रदेश।

विषय :पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित किये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जनपदवार अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना पत्रांक 95 दिनांक 07.07.2022 सुसंगत दिशा-निर्देशों के साथ प्रेषित करते हुए शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर योजना क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन जनपदीय एवं मण्डलीय उद्यान अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर किये गये स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन में आवेदित क्षेत्रफल एवं ड्रिप/स्प्रिंकलर से आच्छादन में काफी भिन्नता देखी गयी है। लाभार्थी के प्रक्षेत्र पर ई.ओ.क्यू एवं बिल में इंगित बी.आई.एस मानक के अनुसार शत-प्रतिशत सामग्री की आपूर्ति न होने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं जो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। यह भी संज्ञान में आया है कि अधिकांश कृषकों का ड्रिप सिंचाई के लिये कम स्पेसिंग पर पंजीकरण एवं स्वीकृति आदेश निर्गत कर अनुदान की अधिक धनराशि अंतरित कराया जाता है। अपूर्ण रूप से स्थापित ड्रिप सिंचाई पद्धति में बिना टेस्टिंग किये सिर्फ हेड यूनिट के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। यह स्थिति खेदजनक एवं नियमों का उल्लंघन है।

3. उल्लेखनीय है कि निदेशालय के पत्रांक 397 दिनांक 21.11.2019 एवं पत्रांक 156 दिनांक 11.08.2022 द्वारा स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन हेतु चेक लिस्ट प्रेषित किये गये है किन्तु आपके स्तर से चेक लिस्ट में इंगित बिन्दुओं पर सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे लाभार्थियों प्रक्षेत्र पर स्थापित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की गुणवत्ता एवं उसके उपयोग की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान एवं जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा सतही स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें मात्रा एवं गुणवत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है।

4. आन लाइन कृषकों के पंजीकरण से लेकर स्वीकृति आदेश के निर्गमन, कार्य की समयबद्ध पूर्णता, आवेदित पूर्ण क्षेत्रफल में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का आच्छादन, बी.आई.एस. मानकों का अनुपालन, कृषक अंश की अनिवार्य उपलब्धता, लाभार्थी कृषक की संतुष्टि, निर्माता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बिलों का आथेंटिकेशन, लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में अनुदान अंतरण, जी.एस.टी. भुगतान आदि का कार्य प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर

ही पारदर्शी ढंग से पूर्ण किये जाय। क्षेत्रीय भ्रमण एवं स्थलीय सत्यापन में आवेदित क्षेत्रफल/लैटरल स्पेसिंग में भिन्नता पाये जाने पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी के लिए आप जनपदीय उद्यान अधिकारी के समान ही उत्तरदायी होंगे।

अतः आपको अंतिम रूप से सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप पर्यवेक्षकीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें ताकि केन्द्र एवं राज्य सरकार के इस फ्लैगशिप एवं महत्वाकांक्षी योजना का शत-प्रतिशत लाभ प्रदेश के कृषकों को प्राप्त हो सके। भविष्य में उक्त के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विचलन की शिकायत प्राप्त होती है तो योजना प्रभारी, लेखाकार, जनपदीय उद्यान अधिकारी एवं उपनिदेशक उद्यान के विरूद्ध समान रूप से प्रशासनिक कार्यवाही बाध्यकर होगी।

(आर.के. तोमर)
निदेशक

**पृष्ठांकन सं0**.....168.....**तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश से प्रेषित कि योजना कार्यान्वयन में उपरोक्त इंगित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

1. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शांकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पंजीकृत निर्माता फर्म को इस निर्देश से प्रेषित कि योजनान्तर्गत स्थापित किये जा रहे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में आपरेशनल गाइड लाइन्स में निहित मानकों एवं सुसंगत दिशा-निर्देशों के साथ उपरिसंदर्भित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के विचलन एवं स्थलीय सत्यापन में कमी/अधोमानक की स्थिति में पंजीकृत निर्माता फर्म एवं अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही बाध्यकर होगी।

(आर.के. तोमर)
निदेशक